वाद सं. 27 / 14 भागचंद / अक्षयसिंह

26–7–2019

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित।

वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14(3) सपठित धारा 151 सीपीसी. पर बहस सुनी गई पत्रावली का अवलाकन किया गया।

वादी ने अपने प्रार्थनापत्र के अनुरूप तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त वाद में जो कबूलियतनामा 7–8–2002 का है तथा किराये की रसीदें प्रस्तुत की जा रही हैं जो पूर्व में भूलवश पेश नहीं की जा सकी थी, जो असल दस्तावेज हैं इसलिए उक्त दस्तावेज को रिकार्ड पर लेने की कृपा करें।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने विरोध में तर्क प्रस्तुत किया कि कबूलियतनामा पूर्णतः स्टाम्पित नहीं है इसलिए साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य सुसंगत दस्तावेज नहीं है। पूर्व में ही वादी उक्त दस्तावेज को पेश कर सकता था, इसलिए प्रार्थनापत्र खारिज करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज कबूलियतनामा दिनांक 7–8–2002 का मूल है जो साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य या सुसंगत दस्तावेज है या नहीं यह इस स्टेज पर नहीं देखा जा सकता क्यों कि वह विवादित सम्पत्ति से संबंधित है इस संबंध में कोई विरोध प्रतिवादी ने नहीं किया है। जहां तक सुसंगतता का प्रश्न है, यह आदेश 7 नियम 14 सीपीसी. के प्रार्थनापत्र में निर्णीत नहीं किया जा सकता, जिरह के समय ही इस आपत्ति को निर्णीत किया जा सकता है तथा उक्त दस्तावेज मूल पेश किया गया है तथा एक दस्तावेज कम्पेयर करवाया है जो कम्पेयर करवाकर मूल दस्तावेज दिया गया। उक्त

दस्तावेज के कूटरचित होने का कोई अंदेशा नहीं है और न ही ऐसी कोई आपत्ति प्रतिवादी द्वारा की गई है। प्रकरण साक्ष्य वादी हेतु नियत है जिससे प्रतिवादी को उक्त दस्तावेजात पर जिरह और प्रतिरक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त है, इसलिए दस्तावेज रिकार्ड पर लेने से प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रहा है। वादी का दावा वर्ष 2014 का है। वादी को अपना दस्तावेज दावे के साथ पेश करना आवश्यक था, दस्तावेज वादी के पास नहीं हों यह भी कथन नहीं किया है। दावे को लगभग 5 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो विलम्ब कारित है। इसलिए प्रार्थनापत्र 1000/– रूपये कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक..... को पेश हो।